निर्णय
23.2.2026

2026/56

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रणजीत आदि बनाम उदयपाल आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 48 वर्ष 2026

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 29.01.2026 | वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.02.2026 को पेश हो। | |
| 9.2.2026 | कुलाए फरीकेन उपस्थित/PO साहब बार पर है। पत्रावली प्रतीक्षित तारीख वकील ... दिनांक 18.2.2026 को पेश है | |
| 18.2.2026 | वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। कुलाए फरीकेन उपस्थित। वादी वकील वादी-स0/व2 ने हाजिर अदालत आकर वाद नामा पेश किया जिसे वाद तस्दीक दाखिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईंदा तारीख 20.2.2026 को पेश हो। | वादीगण की पहचान एड. ... ने की<br>रणजीत<br>उदयपाल<br>23/2/26<br>प्रतिवादी सं0 1 व 2 की पहचान एड. सुनील कुमार द्वारा की गई |
| 20.2.2026 | कुलाए फरीकेन उपस्थित/PO साहब ... पर है। पत्रावली प्रतीक्षित तारीख स्टेटमेन्ट दिनांक 23.2.2026 को पेश है | |
| 23.2.2026 | कुलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट जवाब तास्त हुआ। वक्त सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड ... प्रतिवादी के वादनामा से आकर ... जाता है। पूर्व विवरण सहित ... अलग से लिफाफा जाकर दाखिल फाईल किया जावे। पत्रावली नाकर के बाद की जाकर वाद तस्दीक तकमील जाता दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:49:11 IST
Reason: SelfAttested